



(155)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर

CA. 207

1. रामलखनसिंह तनय स्व. श्री भोपालसिंह
 2. जगदीशसिंह तनय स्व. श्री भोपालसिंह
 3. चरनसिंह तनय स्व. श्री भोपालसिंह
 4. देवीसिंह तनय स्व. श्री भोपालसिंह
- सभी निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर

R-2770-III/13

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. राजबहादुर तनय स्व. श्री विश्वनाथसिंह
2. रामस्वरूपसिंह तनय स्व. श्री भोपालसिंह
निवासी ग्राम महाराजपुर तह. गौरिहार
जिला छतरपुर

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर ~~गौरिहार~~ के आदेश दिनांक 12/4/13 से परिवेदित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महाराजपुर नं. 14, 145, 161, 184, 230, 348, 322, 197 भूमि राजस्व के नाम पर

3

B.O.R.

[Signature]

4 JUL 2013

10/04/13 7:00 PM
गौरिहार प्रखण्ड
न्यायालय का. रनर, सागर सम्भाग,
सागर (म.प्र.)
[Signature]
[Signature]



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2770-तीन/2013

जिला- छतरपुर

रामलखन आदि विरुद्ध राजबहादुर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 332/निगरानी/अपील/2009-2010 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (जे0के0 जैन) सदस्य</p>	